



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20102022-239752
CG-DL-E-20102022-239752

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4720]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 19, 2022/आश्विन 27, 1944

No. 4720]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 19, 2022/ASVINA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4932(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा असम राज्य के धुबरी जिले में NH 127B के कि.मी. 36.500 से कि.मी. 37.270, कि.मी. 37.960 से कि.मी. 42.030 और कि.मी. 43.050 से कि.मी. 43.300 (उपायुक्त कार्यालय - धुबरी) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 6 अगस्त, 2022 को "डी असम ट्रिब्यून" और "असोमिया प्रतिनिधि" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

असम राज्य के धुबरी जिले में NH 127B के कि.मी. 36.500 से कि.मी. 37.270, कि.मी. 37.960 से कि.मी. 42.030 और कि.मी. 43.050 से कि.मी. 43.300 (उपायुक्त कार्यालय - धुबरी) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: असम			जिले का नाम: धुबरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: गोलकगंज				
	गांव का नाम: बटुअतुली				
1	538	निजी	बेपरार्थी	0.083	१. श्री केसब चंद्र बरुया (पिता-स्वर्गीय काली नाथ बरुया) (५३८)
			कुल	0.083	

[फा. सं. BTC/LR-248 /2014 /56/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th October, 2022

S.O. 4932(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH 127B on the stretch of land from Km 36.500 to Km. 37.270, Km. 37.960 to Km. 42.030 and Km 43.050 to Km. 43.300 (DC office -Dhubri) in the district of DHUBRI in the state of ASSAM.

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Assam Tribune” and “Asomiya Pratidin” both dated 06.08.2022 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH 127B in the stretch of land from Km 36.500 to Km. 37.270, Km. 37.960 to Km. 42.030 and Km. 43.050 to Km. 43.300 on NH 127B (DC office -Dhubri) in the district of DHUBRI in the state of ASSAM.

State: ASSAM		District: DHUBRI			
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Golakganj				
	Village: Batuatuli				
1	538	Private	Bepararthai	0.083	1.Sri Kesob Chandra Baruah (S/O -Late Kali Nath Baruah) 538
			TOTAL	0.083	

[F. No. BTC/LR-248 /2014 /56/3D]

RAJESH GUPTA, Director